जी. माणिक्यम्मा और अन्य

बनाम

रौदरी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड अन्य

(सिविल अपील संख्या 10534-10535/2014)

25 नवंबर,2014

[जे. चेलामेश्वर एंड्स. ए. बोबड़े जेजे।]

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 -धारा 12-मानवाधिकार आयोग की अधिकार क्षेत्र- सहकारी समिति द्वारा भूमि धारकों से भूमि की खरीद-जिसे 1976 के अधिनियम के तहत अधिकतम सीमा अधिशेष घोषित किया गया था-सोसायटी द्वारा मांगे गए अधिनियम से छूट- भूमि पर अतिक्रमण-सोसाइटी द्वारा दावा की गई भूमि के कुछ हद तक अतिक्रमणकारियों को घर प्रदान करने का राज्य का निर्णय-अतिक्रमणकारियों के साथ-साथ सोसायटी द्वारा मानवाधिकार आयोग के समक्ष शिकायतें- आयोग ने राज्य को अतिक्रमणकारियों को एक वैकल्पिक स्थल पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया-आयोग के आदेश को लागू करने के लिए निर्देश देने के लिए सोसायटी द्वारा लिखित याचिका-याचिका की अनुमति-रिट अपील खारिज-अपील पर कहा गयाःसंपत्ति का स्वामित्व और कब्जा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था-मानवाधिकार आयोग के पास स्वामित्व और कब्जे पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं है-इसलिए, मानवाधिकार आयोग का अधिकार क्षेत्र शहरी भूमि (अधिकतम सीमा विनियमन) धारा 10 अधिनियम, 1976 में गलत था।

न्यायालय ने अपीलों का निपटारा करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियों की गणना खंड 12 के तहत की गई है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993। खंड 12 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मानवाधिकार आयोग को संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे के विवादों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत करता है। इस प्रकार, मानवाधिकार आयोग के पास संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे के विवादित प्रश्न ए से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।प्रथम प्रत्यर्थी सोसायटी के साथ-साथ अतिक्रमणकारियों दोनों ने गलत तरीके से इसके अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया। मानवाधिकार आयोग ने कानूनी रूप से उनके लिए उपलब्ध उचित उपायों को आगे बढ़ाने के बजाय। बी [पारस 42,43,46 और 47] [875-ए; 874-एफ-जी]

2. जब तक शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 की खंड 10 के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तब तक जो भूमि किसी भी भूमिधारक की अतिरिक्त खाली भूमि के रूप में निर्धारित की जाती है, वह या तो सरकार में निहित नहीं होती है या उसका कब्जा राज्य द्वारा नहीं लिया जा सकता है।यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि विचाराधीन लॉरिड को अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा विधिवत कब्जा कर लिया गया था। जब तक विधिवत कब्जा नहीं लिया जाता है, तब तक संपत्ति अभी भी निजी संपत्ति बनी रहती है, इस निर्धारण के बावजूद कि ऐसी संपत्ति अधिनियम के तहत "अधिकतम सीमा से अधिक भूमि" है। ऐसी संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति, चाहे उनके कब्जे की प्रकृति कुछ भी हो-चाहे वे अतिक्रमणकारी हों या पहले प्रतिवादी ई सोसाइटी के रूप में दोषी व्यक्ति-को बलपूर्वक बेदखल नहीं किया जा सकता है।इन सब के लिए विभिन्न पक्षों के संबंधित अधिकारों और विचाराधीन संपत्ति से निपटने के लिए राज्य के अधिकार की गहन जांच की आवश्यकता है।[पैरा 41] [874-बी-एफ]

3. इसके अलावा, एक ओर प्रथम प्रतिवादी सोसायटी और उसके सदस्यों के अधिकारों के बारे में न तो कोई जांच है और न ही किसी सक्षम निकाय द्वारा कोई निर्धारण किया गया है, और दूसरी ओर अतिक्रमणकारियों के अधिकारों के बारे में, उस मामले के लिए, यहां तक कि अधिकारों के बारे में भी।और विवादग्रस्त संपत्ति पर राज्य का अधिकार। [पैरा 48] [877-ई-एफ]

पीटी। मुनिचिकन्ना रेड्डी, बनाम रेवम्मा 2007 (5) एससीआर 491:(2007)

6 एससीसी 59-विशिष्ट। आंध्र प्रदेश सरकार बनाम थुम्माला कृष्ण राव और अन्र। 1982 (3) एससीआर 500:आकाशवाणी 1982 एससी 1081-संदर्भित।

ब्यूलेन प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम.पामर (2005) 3 डब्ल्यूएलआर 554; जे. ए. पाइ (ऑक्सफोर्ड) लिमिटेड बनामयूनाइटेड किंगडम

(2005) ईसीएचआर 921-संदर्भित।

केस लॉ रेफरेन्स

2007 (5) एससीआर 491	विशिष्ट	पैरा 32
1982 (5) एससीआर 500	संदर्भित	पैरा 36
3 डब्ल्यूएलआर 554 (2005)	में निर्दिष्ट	पैरा 44
(2005) ईसीएचआर 921	निर्दिष्ट	पैरा 44

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या.10534-10535/2014

उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश,हैदराबाद के 2011 की रिट अपील संख्या 580 और 2013 की डब्ल्यू. ए. एम. पी. संख्या 59 मे 2013 का सं. 6051 में पारित निर्णय और आदेश से दिनांकित 02-07-2012 से।

के साथ

सिविल अपील संख्या 10536/2014

आदिनारायण राव, जी. वी. आर. चौधरी, के. शिवराज चौधरी, ए. चंद्र शेखर, पी. वेंकट रेड्डी, सुमंत नूकला, मिस वेंकट पलवाई लॉ एसोसिएट्स, डी. महेश बाबू, एस. अशोकानंद कुमार, एम. पी. शोरावाला, जी. एन. रेड्डी, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश चेलमेश्वर, जे.के द्वारा अभिनिर्धारित किया गया

1. देरी को माफ कर दिया गया।एस. एल. पी. दाखिल करने की अनुमति दी जाती है।एस. एल. पी. में अवकाश अनुदत्त

2. 2013 की विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्याs. 26315-26316 नौ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई है जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के 2011 की रिट अपील संख्या.580 और 2013 की डब्ल्यूएएमपी संख्या.59 में 2013 की रिट अपील एसआर संख्या. 6051 में दिनांकित 02.07.2012 और 24.01.2013 के आदेशों से व्यथित हैं, ये दोनों 2011 के डब्ल्यूपीएमपी संख्या.19151 में 2011 के डब्ल्यूपी संख्या.10414 में पारित 11.7.2011 के फैसले और 2011 के डब्ल्यूपी संख्या.10414 में पारित 26.12.2012 के आदेश से व्यथित हैं।

3. 2013 की विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या.38017 आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2011 की रिट याचिका संख्या.10414 और संबंधित मामलों से उत्पन्न 2013 की रिट अपील संख्या.1125 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर दायर की गई है।

4. 2011 की रिट याचिका मेसर्स रौदरी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा दायर की गई थी, जो इसमें सभी अपीलों में पहली प्रतिवादी है।उक्त रिट याचिका

दायर की गई थी जिसमें विभिन्न प्रार्थनाओं के साथ परमादेश की रिट की मांग की गई थी जो इस प्रकार हैः

> "साथ में दिए गए शपथ पत्र में बताए गए कारणों के लिए, इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि यह माननीय न्यायालय एक रिट, आदेश या आदेश परमादेश करने के लिए प्रसन्न हो सकता है, विशेष रूप से एक अनिवार्य रिट की प्रकृति में। एच. आर. सी. संख्या.758/2011 में राज्य मानवाधिकार आयोग के दिनांकित 18.3.2011 आदेश को लागू नहीं करने में प्रतिवादी की कार्रवाई की घोषणा करते हुए सी. में Ac.4-10 गुंटा को मापने वाली भूमि की सीमा से झोपड़ी निवासियों को स्थानांतरित कर दिया गया। हैदराबाद जिले के सैदाबाद मंडल का संख्याs.82,122,123 (P) और 20.01.2006 पर दिए गए आश्वासन के बावजूद उन्हें वैकल्पिक स्थल पर समायोजित नहीं करना। 2 चौथे प्रत्यर्थी द्वारा <ID4 पर दूसरा प्रत्यर्थी, 06.12.2008 दिनांकित G.O.Ms संख्या.1451, जी. ओ. मेमो संख्या.65122/UC.IV/97-6 दिनांकित <ID5 और 2011 के एच. आर. सी. संख्या.758 में माननीय राज्य मानवाधिकार आयोग हैदराबाद द्वारा पारित आदेशों को मनमाना, अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,21 और 300-ए के खिलाफ और परिणामस्वरूप प्रतिवादी को वहां के झोपड़ियों को बेदखल करने और ऐसे अन्य आदेश या आदेश पारित करने का निर्देश देता है जो यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझे।"

यह देखा जा सकता है कि पहली प्रार्थना एचआरसी संख्या.758/2011 में राज्य मानवाधिकार आयोग के दिनांकित 18.3.2011 आदेश के कार्यान्वयन के लिए है। उक्त आदेश का कार्यात्मक भाग इस प्रकार हैः

> "इन परिस्थितियों में, इस मामले का अंतिम निपटारा होने तक और एच. आर. सी. सभी पक्षों को सुनने के बाद, कलेक्टर, हैदराबाद जिले को निर्देश दिया जाता है कि वे सिंगरेनी कॉलोनी के झोपड़ी-निवासियों को मैसर्स रौदरी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित Ac.4-10 गुंटा की सीमा से रंगा रेड्डी जिले के हयातनगर मंडल के मुनगानुरु गांव में स्थानांतरित करने पर विचार करें, जहां कुछ हद तक
>
> ए. सी. झोपड़ी में रहने वालों के अस्थायी पुनर्वास के लिए 2.00 की पहचान की गई है और यह भी देखा गया है कि एसी की सीमा पर कोई नई झोपड़ियां नहीं बनाई गई हैं। 4. 10 गुंटा भूमि और 8.4.2011 द्वारा अनुपालन की रिपोर्ट करें।"

इसमें सभी अपीलार्थियों का मामला यह है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के पास कोई भी आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जैसे कि ऊपर निकाला गया आदेश (18.03.2011 का आदेश) जिसके कार्यान्वयन के लिए 2011 की रिट याचिका संख्या.10414 दायर की गई थी।अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की शुद्धता के संबंध में कई अन्य प्रश्न भी उठाए, जिनके विवरण पर बाद में विचार किया जाएगा।

5. जिस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में ये मामले सामने आते हैं, वह जटिल है क्योंकि मुकदमा अब लगभग चार दशक पुराना है।

6. प्रथम प्रत्यर्थी सोसायटी ने हैदराबाद जिले के सैदाबाद गाँव और मंडल में स्थित सर्वेक्षण संख्याs.82,122 और 123 भाग में 25 एकड़ भूमि की खरीद के लिए छह व्यक्तियों के साथ बिक्री का समझौता किया।सोसायटी के अनुसार, उनमें से तीन मालिक थे और अन्य तीन विवादित भूमि पर संरक्षित किरायेदार थे।यह यहाँ सभी पक्षों का मामला है कि भूमि थी शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के दायरे में आने वाली शहरी खाली भूमि।

7. इस तरह का समझौता (ऊपर निर्दिष्ट) करने के बाद प्रथम प्रतिवादी सोसायटी ने आंध्र प्रदेश सरकार को एक आवेदन दिया जिसमें प्रार्थना की गई कि विचाराधीन संपत्ति को अधिनियम की खंड 20 (1) (ए) के तहत प्रदत्त राज्य के अधिकार का प्रयोग करते हुए अधिनियम के संचालन के दायरे से छूट दी जाए। प्रतिवादी सोसायटी का दावा है कि विक्रेताओं ने 24.10.1985 पर भूमि का भौतिक कब्जा दे दिया है।प्रत्यर्थी सोसायटी का यह भी दावा है कि कुल रुपये 7,50,000 में से उसने अलग-अलग तिथियों पर रुपये 3,51,500 की राशि का भुगतान किया था।हम ऐसे भुगतानों के विवरण से चिंतित नहीं हैं।

8. चूँकि आंध्र प्रदेश सरकार ने सोसायटी द्वारा मांगी गई छूट नहीं दी थी, इसलिए दिनांक आई. डी. 1 पर एक और अभ्यावेदन किया गया था, जिस पर सरकार ने अपने दिनांक आई. डी. 2 वाले पत्र के माध्यम से जवाब दिया कि सोसाइटी के अनुरोध पर भूमि विक्रेताओं (विशेष अधिकारी और सक्षम प्राधिकारी, शहरी भूमि सीमा, हैदराबाद द्वारा) द्वारा रखी गई अतिरिक्त भूमि के निर्धारण के बाद ही विचार किया जाएगा।

9. 21.9.1992 पर, अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकरण ने विक्रेताओं द्वारा रखी गई अधिशेष भूमि की सीमा निर्धारित की और साथ ही भूमि राजस्व आयुक्त को

एक पत्र भेजा जिसमें पहले उल्लिखित समझौते के अनुसार मूल मालिकों द्वारा प्रतिवादी सोसायटी के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण की अनुमति की सिफारिश की गई थी।

10. उक्त पत्र के अनुसरण में, भूमि राजस्व आयुक्त ने राज्य सरकार को अपने दिनांकित पत्र 03.4.1993 द्वारा सिफारिश की कि अलगाव के लिए ऐसी अनुमति दी जाए।ऐसा पत्र जी. ओ. एम. 28.1.1981 के आलोक में लिखा गया था जिसने पंजीकृत सहकारी आवास समितियों को उन व्यक्तियों से भूमि खरीदने की अनुमति दी थी जिनकी भूमि अधिशेष भूमि घोषित की गई है।

11. प्रथम प्रतिवादी सोसायटी की दलीलों के अनुसार, उसके बाद एक दशक तक विवादित भूमि के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ।सोसायटी के अनुसार, जून 2002 के महीने में किसी समय भूमि के एक हिस्से पर बड़ी संख्या में बेघर लोगों का कब्जा हो गया था।आश्चर्यजनक रूप से, सोसायटी ने राज्य सरकार के राजस्व अधिकारियों से संपर्क किया और अनुरोध किया कि अतिक्रमणकारियों को बेदखल किया जाए और उसके बाद 2002 की रिट याचिका संख्या.10888 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें राजस्व अधिकारियों के खिलाफ परमादेश की रिट की मांग की गई कि वे सोसायटी की भूमि की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करें, जब तक कि भूमि सुधार और शहरी भूमि सीमा आयुक्त द्वारा अपने दिनांकित पत्र 03.4.2003 में की गई सिफारिश पर राज्य सरकार द्वारा उचित निर्णय नहीं लिया जाता है।

12. रिट याचिका में दलीलों से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था जिसमें राजस्व अधिकारियों को सोसायटी की भूमि में खड़ी झोपड़ियों को हटाकर अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का निर्देश दिया गया था। "09.6.2002 पर, 2002 के WPMP

संख्या.13379 में 2002 के WP संख्या.10888 में इस माननीय न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिए, जिसमें प्रत्यर्थियों 2 से 5 को एसवाइ में याचिकाकर्ता सोसायटी से संबंधित भूमि में खड़ी झोपड़ियों को हटाकर अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का निर्देश दिया गया। <lD1,122 और 123 भाग सैदाबाद मंडा, हैदराबाद में और प्रतिवादीओं 6 से 9 को अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने में प्रतिवादीओं 2 से 5 की सहायता करने का निर्देश दें।" स्वाभाविक रूप से, यह आगे असाधारण मुकदमेबाजी का कारण बना। झोपड़ीवासियों/अतिक्रमणकारियों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले विभिन्न निकायों द्वारा उच्च न्यायालय से विभिन्न राहतों की मांग करते हुए तीन रिट याचिकाएं दायर की गईं जिन्हें खारिज कर दिया गया।इसके बाद, झोपड़ीवासियों के कहने पर रिट याचिकाओं का एक और समूह दायर किया गया और ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न अंतरिम आदेश पारित किए गए थे, जिनका विवरण इस मामले के उद्देश्य के लिए आवश्यक नहीं हो सकता है।

13. इस बीच, शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 को शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 द्वारा निरस्त कर दिया गया।1999 के अधिनियम की खंड 2 के तहत शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 को निरस्त कर दिया गया था।हालाँकि, खंड 1 के तहत, 1999 अधिनियम को शुरू में केवल हरियाणा और पंजाब राज्य और सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू किया गया था और यह घोषणा की गई थी कि यह ऐसी तारीख से अन्य राज्यों पर लागू होगा जब

राज्य की विधानसभा प्रस्ताव द्वारा निरसन अधिनियम को अपनाती है।

"1. (1) इस अधिनियम को शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 कहा जा सकता है।

(2) यह पहली बार में पूरे हरियाणा और पंजाब राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होता है और यह ऐसे अन्य राज्य पर लागू होगा जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) के तहत उस ओर से पारित प्रस्ताव द्वारा इस अधिनियम को अपनाता है।

(3) यह हरियाणा और पंजाब राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 11 जनवरी, 1999 को और किसी भी अन्य राज्य में जो इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 252 के खंड (2) के तहत इस तरह के अपनाने की तारीख से लागू करता है, लागू माना जाएगा और किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 के निरसन के संदर्भ का अर्थ उस तारीख से होगा जिस दिन यह अधिनियम ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लागू होता है।"

14. पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य ने 27.03.2008 से निरसन अधिनियम डब्ल्यू. ई. एफ. को अपनाया।

15. पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य ने जी. ओ. एम. संख्या.455 दिनांक 29.7.2002 जारी किया, जो उसमें निर्धारित विभिन्न शर्तों के अधीन था, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

"4. सरकार ने उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और अतिरिक्त भूमि के कब्जे के मुद्दे पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और सभी जमीनी वास्तविकताओं और कानून के सख्त प्रवर्तन में आने वाली समस्या और कठिनाइयों के व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शहरी

भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 एक ज़ब्त करने वाला कानून है, नीति के रूप में अधिभोग में ऐसे संबंधित तीसरे पक्ष को अतिरिक्त भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है।23 अधिनियम "।

16. जी. ओ. एम. संख्या.455 के आलोक में, प्रथम प्रतिवादी सोसायटी और उसके सदस्यों ने राज्य सरकार को अभ्यावेदन दिया।उक्त अभ्यावेदनों के जवाब में, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक और जीओएम संख्या.457 दिनांकित 24.3.2003 जारी किया, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः

"4. रौदरी सहकारी हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद ने ऊपर पढ़े गए दूसरे अभ्यावेदन में कहा कि उसने अतिरिक्त भूमि धारकों एस/श्री मोहम्मद से हैदराबाद जिले के सैदाबाद गांव में धारा संख्या.82,122 और 123 (भाग) में अतिरिक्त भूमि की एकड़ 25.00 खरीदी।महबूब मोहिउद्दीन, मोहम्मद।गियासुद्दीन और सफीउद्दीन और 3 संरक्षित किरायेदार श्री प्रताप सिंह, जे. पी. सिंह और टी. के. सिंह ने 05.4.1981 पर और अधिशेष भूमि धारक और सोसायटी के अनुरोध के साथ-साथ उक्त भूमि की छूट देने के लिए अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है और अभी भी किसी न किसी कारण से लंबित है।इसलिए अधिशेष भूमि धारक द्वारा सोसाइटी को और बदले में सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों को बिक्री का कोई पंजीकृत दस्तावेज निष्पादित नहीं किया जा सकता था।इस बीच, सोसायटी ने सदस्यों की इच्छा के अनुसार अलग-अलग सदस्यों को भूखंड आवंटित किए हैं, जिनके आधार पर वे कब्जे में हैं।इस पृष्ठभूमि में, सोसायटी ने ऊपर पढ़े गए जी. ओ. 1 में जारी आदेशों के संदर्भ में सदस्यों को सीधे सरकार द्वारा

भूमि के भूखंड आवंटित करने पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है, जिसमें आवश्यक सीमा तक जारी आदेशों में ढील दी गई है।

5. इसलिए सरकार, ऊपर पढ़े गए जी. ओ. 1 के पैरा 4 (ई) से (एच) में जारी आदेशों में ढील देते हुए, एतद्द्वारा निर्देश देती है किः-

(क) सोसाइटी अपने सदस्यों को विशेष अधिकारी और सक्षम प्राधिकरण, शहरी भूमि सीमा, हैदराबाद को भूखंडों के आवंटन के सभी आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगी, जिसमें (i) पिता/पति के नाम के साथ सदस्य का नाम (ii) पूरा पता (iii) सदस्यता संख्या और नामांकन की तारीख (iv) सोसाइटी को भुगतान की गई राशि (v) धारा संख्या (गाँव) भूखंड संख्या आवंटित (vi) वर्ग किलोमीटर में आवंटित भूखंड का विस्तार शामिल होगा।एमटीआरएस।((viii) आबंटन की तिथि (viii) सदस्य को भूखंड के कब्जे में रखने की तिथि और ऐसी अन्य जानकारी जिसकी उसे आवश्यकता हो।यह सरकार को उसके सत्यापन और प्रस्तावों को संसाधित करने के लिए सभी आवश्यक रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराएगा।

(ख) सोसायटी के आबंटन आदेश/आबंटन पत्र/कार्यवृत्त के आधार पर संरचनाओं के साथ या बिना सदस्य के स्वामित्व वाली भूमि के भूखंड पर, ऊपर पढ़े गए जी. ओ. 1 में जारी आदेशों के संदर्भ में व्यक्तिगत आवेदन दाखिल करने पर, ऐसे सदस्य को आवंटन के लिए विचार किया जाना चाहिए।

(ग) उन सभी सदस्यों के लिए अधिकार की अवधि और देय राशि निर्धारित करने के लिए जो मूल आबंटित हैं और अभी भी आनंद लेते हैं और किसी भी सदस्य की मृत्यु के मामले में उनके उत्तराधिकारियों के लिए भी, सदस्य को भूमि के आबंटन/कब्जे में रखने की तारीख को ध्यान में रखा जाएगा।जिन लोगों ने मूल आवंटनकर्ता या खरीदारों से सदस्यता/भूखंड हस्तांतरित कराए हैं, उनके लिए कब्जे की

समय अवधि और देय राशि निर्धारित करने के लिए इस तरह के हस्तांतरण या खरीद (सोसायटी द्वारा प्रमाणित की जाने वाली) की तारीखों को ध्यान में रखा जाएगा।

(घ) आवंटन इस बात के अधीन होगा कि भूमि के संबंध में कोई मुकदमा लंबित नहीं है जिद्वारा विशेष अधिकारी और सक्षम प्राधिकरण, हैदराबाद द्वारा सत्यापित और सूचित किया जाएगा।

17. उपरोक्त उद्धरण से यह देखा जा सकता है कि सरकार ने केवल उपरोक्त जी. ओ. एम. संख्या.457 के पैरा 6 में निर्दिष्ट आंकड़ों की मांग की है ताकि सोसाइटी के व्यक्तिगत सदस्यों के पक्ष में भूखंडों के आवंटन पर विचार किया जा सके।अभिलेख से यह ज्ञात नहीं है कि सोसाइटी के व्यक्तिगत सदस्यों के पक्ष में कभी कोई अंतिम आवंटन किया गया था या नहीं।

18. ऐसा प्रतीत होता है कि 09.2.2005 पर हुई आग दुर्घटना के कारण विचाराधीन भूमि के अतिक्रमणकारियों की बड़ी संख्या में झोपड़ियां नष्ट हो गईं।इसलिए, आंध्र प्रदेश राज्य ने प्रथम प्रतिवादी सोसायटी द्वारा दावा की गई 25 एकड़ भूमि में से 7 एकड़ की सीमा में "वाम्बा आवास योजना" के रूप में जानी जाने वाली योजना के तहत स्थायी घर प्रदान करने का निर्णय लिया।उक्त तथ्य कलेक्टर, हैदराबाद के दिनांकित 20.01.2006 के पत्र से सामने आया है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

> "यह उस आग दुर्घटना को संदर्भित करता है जो 09.2.2005 पर हुई थी जिसमें बड़ी संख्या में झोपड़ी में रहने वालों ने अपना सब कुछ खो दिया था जब उनके घर आग में जल गए थे।जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने वाम्बा आवास योजना के तहत स्थायी आवास का निर्माण करने का निर्णय लिया है और तदनुसार भूमि के एक हिस्से

का उपयोग वाम्बा आवास के निर्माण के लिए किया जा रहा है। तदनुसार, वैम्बे योजना का निर्माण ए. सी. की सीमा में शुरू हुआ। सहकारी आवास समिति द्वारा स्वामी के रूप में दावा की गई भूमि के हिस्से से 7 जी. टी. एस. की सीमा तक। 25.00 जी. टी. एस. उक्त सोसायटी की सहमति पर है जो भूमि पर दावा नहीं करती है।कलेक्टर ने सी में मौजूदा अवैध अतिक्रमण किए गए झोपड़ी निवासियों को बेदखल करते हुए यू. एल. सी. के परिणाम के अधीन रहते हुए सोसायटी के उद्देश्य के लिए बने रहने पर सहमति व्यक्त की। संख्या.82,122 और 123/भाग।इसलिए पहले से ही चिन्हित लाभार्थियों को परियोजना के पूरा होने के तुरंत बाद वाम्बा आवास योजना में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले को रौधरी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के साथ आगे बढ़ाएं और उन्हें आश्वस्त करें कि कानून के अनुसार उनके हितों की रक्षा की गई है। अर्थात् अवैध अतिक्रमणकारियों से विचाराधीन भूमि की रक्षा करना और आग दुर्घटना के पीड़ितों से वाम्बा आवास कार्यक्रम के लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाना।"

19. उक्त पत्र के अनुसार, राजस्व मंडल अधिकारी हैदराबाद ने दिनांकित 25.02.2006 पत्र के माध्यम से प्रथम प्रतिवादी सोसायटी से प्रस्ताव के लिए सहमत होने का आह्वान किया।उक्त पत्र के जवाब में, प्रथम प्रतिवादी सोसायटी ने एक बार फिर एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें "जीओएम धारा संख्या.455 और 457 के संदर्भ में सदस्यों के कब्जे वाले क्षेत्र को नियमित करने" की मांग की गई।प्रथम प्रत्यर्थी

सोसायटी ने Rs.43,50,222/- मूल्य के डी. डी. एस. के साथ अलग-अलग सदस्यों के 219 आवेदन प्रस्तुत किए।

20. आंध्र प्रदेश सरकार ने जी. ओ. एम. संख्या.1451 दिनांकित 06.12.2008 जारी किया जिसके द्वारा सी में 9 एकड़ 14 गुंटा का विस्तार किया गया। धारा संख्या.82,122 और 123 सैदाबाद गाँव और मंडल, हैदराबाद का हिस्सा प्रथम प्रतिवादी सोसायटी के पक्ष में आवंटित किया गया था।उक्त जी. ओ. एम. में, सरकार ने सोसायटी और राज्य के बीच मुकदमेबाजी के इतिहास पर ध्यान दें और यह भी दर्ज किया कि विशेष अधिकारी और भूमि सीमा हैदराबाद के सक्षम प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार प्रथम प्रतिवादी सोसायटी द्वारा दावा की गई 25 एकड़ भूमि में से विभिन्न भूखंड या तो अतिक्रमण के अधीन थे या झोपड़ी निवासियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था।

21. उक्त ध्यान दें 7 और 8 की विषय-वस्तु पर ध्यान देना दिलचस्प है। ओर जो इस प्रकार हैः

> "7. सरकार ने मामले की सावधानीपूर्वक जांच के बाद और कलेक्टर ने अतिक्रमणों को हटाने के लिए सहमति दी है, इसलिए अधिशेष भूमि को कुछ हद तक ए. सी. आवंटित करने का निर्णय लिया है। 9. 14 ग्राम।, (ए. सी. 54 जी. टी. एस., यौगिक दीवार और एसी से ढका हुआ। 4. 10 ग्राम।, अतिक्रमणकारियों द्वारा कवर) मेसर्स रौदरी को-ऑपरेटिव हाउसिंग के पक्ष में सोसाइटी लिमिटेड, सैदाबाद, जी. ओ. में जारी आदेशों के संदर्भ में, जिसे पहले ऊपर पढ़ा गया था, एक विशेष मामले के रूप में सोसाइटी को आवासीय अपार्टमेंटों का निर्माण करने और फ्लैटों को आवंटित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए।
>
> समाज के व्यक्तिगत सदस्य।

4. जबकि, विशेष अधिकारी और सक्षम प्राधिकरण, शहरी भूमि जी सीलिंग, हैदराबाद ने बताया कि आउट ऑफ कुल एसी का 25.00 gts , ए. सी. 6. 20 ग्राम।, मिस द्वारा अतिक्रमण किया गया था। भानु कंस्ट्रक्शन हाउसिंग सोसायटी, ए. सी. 4. 10 ग्राम।, अवैध झोपड़ियों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। एसी 1.123 जीटीएस।, ढका हुआ आर. सी. सी. रोड, एसी. 0. 20 ग्राम।, मस्जिद, एसी द्वारा आच्छादित। 1. 0 ग्राम. ढका हुआ कब्रिस्तानों द्वारा, एसी। 6. 03 जीटीएस।, घरों के निर्माण के लिए लिया गया था वैम्बा आवास योजना और एसी के तहत। 54 जी. टी. एस., खाली भूमि को कवर किया गया यौगिक दीवार द्वारा एच।

8. तदनुसार, सरकार इसके द्वारा मूल अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकार द्वारा कब्जा की गई अतिरिक्त भूमि को एक करोड़ रुपये की सीमा तक आवंटित करती है। 9. 14 ग्राम।, सी में। मैसर्स रौदरी को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, सैदाबाद के पक्ष में सैदाबाद गांव और मंडल, हैदराबाद जिले के <ID1,122,123/P, जिनके पास अतिरिक्त भूमि का कब्जा होने की सूचना है।चूंकि सोसायटी के सदस्यों ने G.O.Ms में निर्धारित आवश्यक राशि का भुगतान भी किया है। संख्या.455, दिनांक 29.07.2002, एक विशेष मामले के रूप में, सोसाइटी को आवासीय अपार्टमेंट का निर्माण करने और सोसाइटी के व्यक्तिगत सदस्यों को फ्लैट आवंटित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए, पैरा (3) और (4) में उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए व्यक्तिगत सदस्यों के बजाय सोसाइटी को भूमि आवंटित की जाती है।"

22. दो कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।हमें अभिलेख पर कुछ भी नहीं मिलता है।किसी भी तरह से राज्य द्वारा हमारे ध्यान में यह स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं लाया गया है कि विचाराधीन भूमि का कब्जा वास्तव में राज्य द्वारा अपने अस्तित्व के दौरान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लिया गया था।दूसरा, उपर्युक्त जी. ओ. की तारीख तक, पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में यह अधिनियम निरस्त कर दिया गया था।

23. रिट याचिका में किए गए कथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम प्रतिवादी सोसायटी अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के अधिकारियों का लगातार पीछा कर रही थी और अंत में कुछ हद तक सफल रही।2011 की रिट याचिका संख्या 10414 के समर्थन में दायर शपथ पत्र में किए गए कथन इस प्रकार हैं।

> "27. मैं प्रस्तुत करता हूं कि 14.2.2011 पर, प्रतिवादीओं 2 से 5 ने प्रतिवादीओं 6 से 9 की सहायता से सी में Ac.4-10 गुंटा की सीमा तक भूमि के हिस्से में कब्जा किए हुए झोपड़ी निवासियों को बेदखल कर दिया। नं. 82,122 और 123 सैदाबाद गाँव मंडल का हिस्सा और एक पंचनाम के तहत याचिकाकर्ता सोसायटी को भूमि का खाली भौतिक कब्जा सौंप दिया।स्केच के साथ पंचनाम की एक प्रति को संलग्नक पी-36 के रूप में चिह्नित किया गया है।
>
> 28. याचिकाकर्ता सोसायटी को आश्चर्यचकित करते हुए, जिन झोपड़ियों में रहने वाले लोगों ने सुबह उक्त भूमि खाली की थी, वे उसी दिन शाम को फिर से लौट आए और याचिकाकर्ता सोसायटी द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा और चौकीदार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर एक बार फिर याचिकाकर्ता सोसायटी की भूमि पर कब्जा कर

लिया और अवैध रूप से पेड़ों को भूमि में डाल दिया और विभिन्न अपराध किए।"

24. उपर्युक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने राज्य मानवाधिकार आयोग, आंध्र प्रदेश में 17.2.2011 पर शिकायत की कि राज्य के राजस्व और पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें जबरन बेदखल किया जा रहा है।मानवाधिकार आयोग ने एक आदेश पारित किया, जिसका परिचालन भाग इस प्रकार हैः-

"इन परिस्थितियों में, हैदराबाद जिले के कलेक्टर को निर्देश दिया जाता है कि वे सिंगरेनी कॉलोनी के झोपड़ियों में रहने वालों को पानी और बिजली की आपूर्ति को तत्काल बहाल करने के लिए कदम उठाएं, जिनकी झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया है, और जब तक उक्त लोगों को पक्के घरों की मंजूरी पर विचार नहीं किया जाता है, तब तक उन्हें उक्त स्थान से बेदखल नहीं किया जाएगा।"

25. इसके एक महीने के भीतर, प्रथम प्रतिवादी सोसायटी के कुछ सदस्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष 18.3.2011 पर एक शिकायत दर्ज की, जिसमें राज्य के विभिन्न राजस्व और पुलिस अधिकारियों को जीओएमएस नंबर के तहत याचिकाकर्ताओं को आवंटित 9 एकड़ 14 गुंटे में से 4 एकड़ 10 गुंटे की भूमि से झोपड़ियों में रहने वालों को बेदखल करने का निर्देश देने की मांग की गई। 1451 का उल्लेख ऊपर किया गया है।

26. उक्त शिकायत पर, राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा दिनांकित अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसके कार्यान्वयन के लिए प्रथम प्रतिवादी सोसायटी ने

2011 की रिट याचिका संख्या 10414 के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

27. 2011 की रिट याचिका संख्या 10414 और 2012 की रिट याचिका संख्या 4898 का निपटान दिनांक 26.12.2012 के एक सामान्य निर्णय द्वारा किया गया।2012 की रिट याचिका संख्या 4898 अतिक्रमणकारियों के एक संघ द्वारा दायर की गई थी, जिसमें परमादेश प्रकृति की एक रिट की मांग की गई थी, जिसमें राज्य और उसके अधिकारियों द्वारा झूंपड़ीवासियों को वैकल्पिक आवास प्रदान किए बिना भूमि से बेदखल करने की कार्रवाई को मनमाना और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया था।

28. उपर्युक्त सामान्य निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने 2011 की रिट याचिका संख्या 10414 को अनुमति दी और 2012 की रिट याचिका संख्या 4898 का निपटारा किया।निर्णय का कार्यात्मक भाग इस प्रकार है -

निम्नलिखित हैः-

> "17. इसलिए, मैं 2011 की डब्ल्यू. पी. संख्या 10414 को अनुमति देता हूं और उसमें प्रतिवादी 1 से 9 को उन 367 परिवारों को बेदखल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश देता हूं, जिन्होंने 20.01.2013 तक सिंगरेनी कॉलोनी की भूमि पर कब्जा कर लिया है। इसी तरह, 1 से 9 तक के प्रतिवादी 367 परिवारों के लिए केवल मुनागनूर गांव में चिन्हित 3 एकड़ भूमि में अस्थायी निर्माण करने पर कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे ताकि वे पुनर्वास के नए स्थल पर रह सकें।प्रतिवादी 1 से 5 तक भूतल और दो ऊपरी मंजिलों में उनके द्वारा विचारित स्थायी आवास योजना को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक

कदम उठाएंगे, ताकि पहचाने गए पुनर्वास परिवारों को स्थायी आवास में स्थानांतरित किया जा सके।जैसे ही और जब स्थायी आवास उपलब्ध कराया जाता है, पुनर्वास किए गए परिवार का प्रत्येक सदस्य अस्थायी पुनर्वास शिविर में अपने द्वारा कब्जा किए गए स्थान के खाली शांतिपूर्ण कब्जे को तहसीलदार-सह-मंडल राजस्व को सौंप देगा। अधिकारी, सैदाबाद और खाली कब्जे को सौंपने के लिए स्वीकृति प्राप्त करें।रहने वाले कब्जा प्रमाण पत्र को फिर से वितरित करेंगे जो मंडल राजस्व अधिकारी चिन्हित पुनर्वास परिवारों को राज्य द्वारा विचारित स्थायी आवास योजना में जाने के समय जारी करेंगे।

18. याचिकाकर्ता सोसायटी के लिए सक्षम नगर निगम/प्राधिकरण से अपनी साइट के चारों ओर एक पक्की गैर-छिद्रपूर्ण परिसर दीवार के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त करने और फिर अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए एक परिसर दीवार के निर्माण के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए खुला है।

19. उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, 2012 के डब्ल्यू. पी. संख्या 4898 में याचिकाकर्ता संगम को मुनागनूर गांव में पहचाने गए नए अस्थायी पुनर्वास केंद्र में अपने पुनर्वास के लिए समय देने का फैसला किया गया है।

29. ऐसा प्रतीत होता है कि 2011 की रिट याचिका संख्या 10414 विचाराधीनता रहने के दौरान, पांच प्रतिवादीओं द्वारा 2011 की विविध याचिका संख्या 19151 दायर की गई थी, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि उन्हें रिट याचिका में पक्षकार के रूप में शामिल

किया जा सकता है।उक्त विविध याचिका खारिज कर दी गई। उसी से व्यथित, असफल याचिकाकर्ताओं ने 2011 की रिट अपील संख्या 580 दायर की।

30. 2011 की रिट याचिका संख्या 10414 के निर्णय से व्यथित आंध्र प्रदेश राज्य ने 2013 की रिट याचिका संख्या 1121 के माध्यम से अपील में मामले को उठाया, जिसे 20.8.2013 दिनांकित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था, जबकि 2011 की रिट अपील संख्या 580 को भी 2.7.2012 दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था।2013 की रिट अपील संख्या 1121 को खारिज किए जाने से व्यथित आंध्र प्रदेश राज्य ने 2013 की एस. एल. पी. संख्या 38017 को प्राथमिकता दी और अन्य दो एस. एल. पी. असफल अपीलार्थियों द्वारा 2011 की रिट अपील संख्या 580 में दायर किए गए हैं और उच्च न्यायालय विभिन्न निर्देश देने के लिए कानूनी रूप से सही है जैसे कि दिया गया है।

31. इन तीन अपीलों में जो मुख्य प्रश्न उठता है, वह यह है कि क्या राज्य मानवाधिकार आयोग के पास आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र है, जैसा कि उसने पारित किया था, जिसके कार्यान्वयन की मांग करते हुए प्रथम प्रतिवादी सोसायटी ने 2011 की रिट याचिका संख्या 10414 दायर की थी।

32. सभी अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने विचाराधीन निर्देश जारी करने में अपने अधिकार क्षेत्र से परे चला गया।दूसरी ओर, प्रथम प्रतिवादी सोसायटी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पी. टी. मुनिकन्ना रेड्डी बनाम रेवम्मा (2007) 6 एस. सी. सी. 59 में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए कि संपत्ति का अधिकार मानवाधिकारों में से एक है, प्रथम प्रतिवादी सोसाइटी के सदस्यों के संपत्ति अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग के निर्देश उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं।

33. 9 एकड़ 14 गुंटा भूमि पर प्रथम प्रतिवादी सोसायटी का अधिकार, यदि कोई हो, जी. ओ. एम. संख्या 1451 दिनांक 16.12.2008 से उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा सरकार ने प्रथम प्रतिवादी सोसाइटी के पक्ष में भूमि आवंटित करने का इरादा किया था। शहरी भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 को देखते हुए 16.8.2008 से पहले की संपत्ति में प्रथम प्रतिवादी सोसायटी का अधिकार, अधिकार और हित (एक सतर्क अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए) संदिग्ध प्रतीत होता है और इसकी पूरी तरह से जांच की आवश्यकता होती है।प्रथम प्रत्यर्थी सोसायटी अपने विक्रेताओं-मूल मालिकों, जिन्हें बाद में शहरी भूमि सीमा अधिनियम के तहत अधिशेष भूमि के धारक घोषित किया गया था, द्वारा कब्जे के वितरण के अनुसार उक्त संपत्ति के कब्जे में होने का दावा करती है।

34. यह मानते हुए कि पहली प्रत्यर्थी सोसायटी ने ऐसा अधिकार प्राप्त किया था, ऐसा लगता है कि उन्होंने कम से कम जून, 2002 के महीने से अपने स्वयं के प्रवेश के अनुसार भी ऐसा अधिकार खो दिया है।दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश राज्य ने जी. ओ. एम. सं. 1451 जारी किया जिसमें विशेष रूप से कहा गया कि विचाराधीन भूमि 'अतिरिक्त भूमि' थी, जिस पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य द्वारा कब्जा कर लिया गया था। विवादग्रस्त संपत्ति के भौतिक कब्जे और संपत्ति के लिए प्रथम प्रतिवादी सोसायटी के कानूनी अधिकारों की अप्रमाणित प्रकृति के संबंध में ऐसे परस्पर विरोधी दावों के सामने, क्या राज्य मानवाधिकार आयोग के पास अपने द्वारा पारित आदेशों जैसे आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा, यह मुद्दा है।

35. पुलिस बल का उपयोग करके प्रथम प्रतिवादी सोसायटी (जिसका संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं है) के सदस्यों के लाभ के लिए अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का राज्य का अधिकार कानून के शासन के साथ पूरी तरह से असंगत है।अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने का तरीका संपत्ति के

स्वामित्व पर निर्भर करता है।कानून के शासन द्वारा शासित देश में, अतिक्रमण करने वालों को भी कानून द्वारा स्थापित कुछ प्रक्रियाओं के अनुसार ही बेदखल किया जा सकता है।ऐसे अतिक्रमणकारियों की बेदखली से संबंधित किसी विशेष अधिनियम की अनुपस्थिति में में, अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के इच्छुक व्यक्तियों को एक सक्षम अदालत से बेदखली के लिए एक डिक्री प्राप्त करनी चाहिए और इस तरह के डिक्री को निष्पादित करना चाहिए।ऐसी डिक्री केवल तभी दी जा सकती है जब सक्षम अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि इस तरह की डिक्री की मांग करने वाले व्यक्ति के पास उच्च कानूनी अधिकार है। कब्जा करने वाले के अधिकार की तुलना में विवाद में संपत्ति के कब्जे का अधिकार।

36. इस देश के विभिन्न राज्यों के क़ानूनों में राज्य की भूमि और उसके उपकरणों पर कब्जा करने वालों को वहां निर्धारित संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करके बेदखल करने का प्रावधान है।इस तरह की प्रक्रिया एक सक्षम अदालत से बेदखली के लिए डिक्री प्राप्त करने की आवश्यकता को दूर करती है।पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के संदर्भ में, ऐसा ही एक अधिनियम आंध्र प्रदेश भूमि अतिक्रमण अधिनियम है। हालाँकि, आंध्र प्रदेश सरकार बनाम थुम्माला कृष्ण राव और अन्य, ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1081 में, इस न्यायालय ने राज्य की भूमि या उसके उपकरणों के संदर्भ में निर्णय दिया, जो लंबे समय से अतिक्रमणकारियों के कब्जे में हैं, ऐसी संक्षिप्त प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया जा सकता है।

37. इसलिए, हमारी राय में, आंध्र प्रदेश राज्य अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने की संक्षिप्त प्रक्रिया का तभी सहारा ले सकता था जब विवादित भूमि राज्य में निहित हो और अतिक्रमणकारियों का कब्जा हाल ही में हुआ हो।यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि विचाराधीन भूमि आंध्र प्रदेश राज्य में निहित है।

किसी भी तरह से, यह स्थापित करने के लिए हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं लाया गया है कि भूमि में प्रश्न आंध्र प्रदेश राज्य में निहित है।

38. यहां तक कि अगर विवादित भूमि को अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिशेष भूमि घोषित किया जाता है, तो भी राज्य द्वारा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके ही उस पर कब्जा किया जा सकता है जो अधिनियम की खंड 10 के तहत इंगित की गई है।

> "10. अधिकतम सीमा से अधिक खाली भूमि का अधिग्रहण।—
>
> (1) संबंधित व्यक्ति पर खंड 9 के तहत बयान की सेवा के तुरंत बाद, सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिकतम सीमा से अधिक रखी गई खाली भूमि का विवरण देते हुए एक अधिसूचना जारी करेगा और यह कहते हुए कि -
>
> (i) ऐसी खाली भूमि का अधिग्रहण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाना है; और
>
> (ख) ऐसी खाली भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों के दावे उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उनके एजेंटों द्वारा ऐसी भूमि में उनके हितों की प्रकृति का विवरण देते हुए किए जा सकते हैं, जिन्हें संबंधित राज्य के आधिकारिक राजपत्र में आम जनता की जानकारी के लिए और ऐसी अन्य तरीके से प्रकाशित किया जाए जो निर्धारित की जाए।
>
> (2) उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी को किए गए खाली भूमि में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के दावों पर विचार करने के बाद, सक्षम प्राधिकारी ऐसे दावों की प्रकृति

और सीमा निर्धारित करेगा और ऐसे आदेश पारित करेगा जो वह उचित समझे।

(3) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी, संबंधित राज्य के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट अतिरिक्त खाली भूमि, ऐसी तारीख से प्रभावी होगी जो घोषणा में निर्दिष्ट की जाए, राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई मानी जाएगी और ऐसी घोषणा के प्रकाशन पर, ऐसी भूमि को इस तरह निर्दिष्ट तिथि से सभी बाधाओं से आत्यन्तिक रूप से राज्य सरकार में निहित माना जाएगा।

(4) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होने और उप-धारा (3) के तहत की गई घोषणा में निर्दिष्ट तारीख के साथ समाप्त होने की अवधि के दौरान -

(i) कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी अतिरिक्त खाली भूमि (उसके किसी भी हिस्से सहित) की बिक्री, बंधक, उपहार, पट्टा या अन्यथा हस्तांतरण नहीं करेगा और इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए किया गया कोई भी ऐसा हस्तांतरण अमान्य माना जाएगा; और

(ii) कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के उपयोग को नहीं बदलेगा या नहीं बदलेगा अतिरिक्त खाली भूमि।

(5) जहां कोई खाली भूमि उप-धारा (3) के तहत राज्य सरकार में निहित है, वहां सक्षम प्राधिकारी, लिखित सूचना द्वारा, किसी भी व्यक्ति

को, जो इसके कब्जे में हो सकता है, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति को नोटिस की सेवा के तीस दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने या उसका कब्जा सौंपने का आदेश दे सकता है।

(6) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (5) के तहत दिए गए आदेश का पालन करने से इनकार करता है या विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी खाली भूमि का कब्जा ले सकता है या इसे संबंधित राज्य सरकार या ऐसी राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति को दे सकता है और उस उद्देश्य के लिए ऐसे बल का उपयोग कर सकता है जो आवश्यक हो।"

39. अधिनियम की योजना के तहत, अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक 'खाली भूमि' रखने वाले व्यक्तियों को इसकी खंड 6 के तहत बयान दाखिल करना आवश्यक है।इस तरह के बयान की धारा 8 और 9 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच की जानी चाहिए और "व्यक्ति द्वारा धारण की गई खाली भूमि का निर्धारण करना चाहिए।अधिकतम सीमा से अधिक "।इस तरह के निर्धारण पर ही खंड 10 के तहत प्रक्रिया का पालन करते हुए राज्य द्वारा ऐसी अतिरिक्त भूमि का कब्जा लिया जा सकता है।खंड 10 से यह देखा जा सकता है कि सक्षम प्राधिकारी को अतिरिक्त खाली भूमि का विवरण देते हुए एक अधिसूचना देने की आवश्यकता होती है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित है और ऐसी भूमि के अधिग्रहण के लिए उक्त भूमि में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति से आपत्तियां आमंत्रित करनी होती है।यदि राज्य सरकार द्वारा खंड 10 (1) के तहत अधिसूचना के जवाब में ऐसा कोई दावा प्राप्त होता है, तो ऐसे दावों की वैधता सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जानी आवश्यक है।उप-धारा (3) के तहत, राज्य सरकार

राजपत्र अधिसूचना द्वारा यह घोषणा करने के लिए अधिकृत है कि उप-धारा (1) के तहत प्रकाशित अधिसूचना में निर्दिष्ट कोई भी अतिरिक्त खाली भूमि राज्य सरकार द्वारा उसमें निर्दिष्ट तिथि से अधिग्रहित की गई मानी जाएगी।ऐसी घोषणा पर, ऐसी भूमि आत्यन्तिक रूप से राज्य सरकार में निहित मानी जाएगी।खंड 10 (3) के तहत ऐसी अधिसूचना के बाद, सक्षम प्राधिकारी किसी भी व्यक्ति को, जो ऐसी संपत्ति के वास्तविक कब्जे में है, राज्य सरकार (उप-खंड (5)) को उसका कब्जा देने के लिए कह सकता है। यदि संपत्ति का कब्जा रखने वाला कोई व्यक्ति उप-धारा (5) के तहत किसी आदेश का पालन करने से इनकार करता है, तो सक्षम प्राधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो उस खाली भूमि पर कब्जा करने के लिए आवश्यक बल का उपयोग करेगा (उप-धारा (6))।

40. जब तक खंड 10 के तहत विचार की गई प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तब तक वह भूमि जो किसी भी जमींदार की अतिरिक्त खाली भूमि के रूप में निर्धारित की जाती है, या तो सरकार में निहित नहीं होती है या राज्य द्वारा उसका कब्जा नहीं लिया जा सकता है।

41. हमारे सामने यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि विचाराधीन भूमि को अधिनियम के प्रावधानों के तहत सरकार द्वारा विधिवत कब्जा कर लिया गया था। जब तक ऊपर बताए गए अनुसार कब्जा नहीं लिया जाता है, तब तक संपत्ति अभी भी निजी संपत्ति बनी रहती है, इस निर्धारण के बावजूद कि ऐसी संपत्ति अधिनियम के तहत "अधिकतम सीमा से अधिक भूमि" है। ऐसी संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति, जो भी हो चाहे वे अतिक्रमणकारी हों या प्रथम प्रतिवादी सोसायटी जैसे व्यक्ति- उन्हें बलपूर्वक बेदखल नहीं किया जा सकता है।इन सब के लिए विभिन्न पक्षों के संबंधित अधिकारों और विचाराधीन संपत्ति से निपटने के लिए राज्य के अधिकार की गहन जांच की आवश्यकता है।

42. मानवाधिकार आयोग, हमारे विचार में, उपर्युक्त मुद्दों की जांच के लिए सक्षम मंच नहीं होगा।प्रथम प्रतिवादी सोसायटी के साथ-साथ अतिक्रमणकारियों दोनों ने, हमारे विचार में, कानून में उनके लिए उपलब्ध उचित उपायों को आगे बढ़ाने के बजाय मानवाधिकार आयोग के अधिकार क्षेत्र को गलत तरीके से लागू किया, और मानवाधिकार आयोग बिना किसी अधिकार क्षेत्र के अधिकार का प्रयोग करने के लिए बहुत इच्छुक था।हमारी यह भी राय है कि उच्च न्यायालय ने मामले में शामिल कानूनी मुद्दों के निर्धारण से अधिक मध्यस्थता गतिविधि का सहारा लिया।

43. हमारी राय में, मानवाधिकार आयोग के पास संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे के विवादित प्रश्नों से निपटने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

44. हम यह स्पष्ट करते हैं कि पी. टी. नगरपालिका रेड्डी बनाम रेवम्मा (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने किराए की संपत्ति पर प्रतिकूल कब्जे के दावे के प्रभाव की जांच एक ऐसे व्यक्ति के दावे के संदर्भ में की, जिसके पक्ष में एक वैध अधिकार है।बेउलेन प्रॉपर्टीज लिमिटेड की जाँच पर यह न्यायालय। पाल्मर बनाम (2005) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 554 और जे. ए. पाइ (ऑक्सफोर्ड) लिमिटेड। बनाम यूनाइटेड किंगडम, (2005) ईसीएचआर 921 ने राय दी;

> "43. मानवाधिकारों को ऐतिहासिक रूप से व्यक्तिगत अधिकारों जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, आजीविका का अधिकार, आश्रय और रोजगार का अधिकार आदि के क्षेत्र में माना जाता रहा है, लेकिन अब मानवाधिकार एक बहुआयामी आयाम प्राप्त कर रहे हैं।संपत्ति के अधिकार को भी नए आयाम का एक हिस्सा माना जाता है।इसलिए, प्रतिकूल कब्जे के दावे को भी उस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।अंग्रेजी न्यायालयों का सक्रिय दृष्टिकोण ब्यूलेन प्रॉपर्टीज लिमिटेड बनाम के

फैसले से काफी दिखाई देता है।पामर एंड जे. ए. पाइ (ऑक्सफोर्ड) लिमिटेड बनामयूनाइटेड किंगडम।न्यायालय ने प्रतिकूल अधिकार के संदर्भ में मानवाधिकारों की स्थिति को पढ़ने का प्रयास किया।लेकिन क्या है?

यह सराहनीय है कि मानवाधिकारों के आयाम इतने व्यापक हो गए हैं कि अब संपत्ति विवाद के मुद्दों को भी मानवाधिकारों के दायरे में उठाया जा रहा है।

45. पी. टी. मुनिकन्ना रेड्डी का मामला (ऊपर दिया गया) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "सी. पी. सी".) की खंड 9 के तहत दायर एक मुकदमे से उत्पन्न हुआ, जिसमें अभियोक्ता और प्रतिअभियोक्ता दोनों ने विमुकदमा में संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा किया।वैकल्पिक में अभियोक्ता ने दावा किया कि उसने प्रतिकूल कब्जे से खिताब को प्राथमिकता दी थी।यह एक ऐसा मामला था जिसमें संपत्ति के मूल मालिक ने मुकदमे में दोनों मुकदमों को जमीन का एक ही टुकड़ा बेच दिया था। प्रतिअभियोक्ता के पक्ष में बिक्री अभियोक्ता के पक्ष में बिक्री के पूर्ववर्ती है।यह उपर्युक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में था, इस न्यायालय ने प्रश्न की जांच की।रेड्डी का मामला (उपरोक्त) इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत गठित राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग स्वामित्व और कब्जे के विवादित प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं।

46. आयोग के कार्यों और शक्तियों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की खंड 12 के तहत गिना गया है, जो इस प्रकार हैः-

12. आयोग के कार्य।-

आयोग निम्नलिखित में से सभी या किसी एक का निष्पादन करेगा।

कार्य, अर्थात्ः-

(क) स्वप्रेरणा संज्ञान लेते हुए या पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर, निम्नलिखित शिकायतों की जांच करें -

(i) मानवाधिकारों का उल्लंघन या उनमें उपशमन; या

(ii) इस तरह के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही,

लोक सेवक;

(ख) ऐसे न्यायालय के अनुमोदन से न्यायालय के समक्ष लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन के किसी भी आरोप से जुड़ी किसी भी कार्यवाही में हस्तक्षेप करना;

(ग) राज्य सरकार को सूचित करते हुए, किसी भी जेल या राज्य सरकार के नियंत्रण में किसी अन्य संस्थान का दौरा करें, जहां कैदियों की जीवन स्थितियों का अध्ययन करने के लिए उपचार, सुधार या सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है या रखा गया है और उस पर सिफारिशें करें।

(घ) मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए संविधान या किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करें।

(ई) आतंकवाद के कृत्यों सहित उन कारकों की समीक्षा करें, जो मानवाधिकारों के उपभोग को बाधित करते हैं और उचित उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करते हैं;

(च) मानवाधिकारों पर संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों का अध्ययन करें और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करें;

(छ) मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।

(ज) समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों द्वारा से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना।

(i) मानवाधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।

(J) ऐसे अन्य कार्य जो इसके लिए आवश्यक हों -

मानवाधिकारों को बढ़ावा देना।

47. यह भाषा से देखा जा सकता है, खंड 12 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मानवाधिकार आयोग को संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे के विवादों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत करता है।

48. इसके अलावा, एक ओर प्रथम प्रतिवादी सोसायटी और उसके सदस्यों के अधिकारों की न तो कोई जांच की जाती है और न ही किसी सक्षम निकाय द्वारा और दूसरी ओर अतिक्रमणकारियों द्वारा, उस मामले के लिए, यहां तक कि विवादग्रस्त संपत्ति पर राज्य के अधिकारों और अधिकार का कोई निर्धारण किया जाता है।

49. इन परिस्थितियों में, हम आंध्र प्रदेश मानवाधिकार आयोग के दिनांक आई. डी. 1 और आई. डी. 4 के आदेशों और 2011 की रिट याचिका संख्या 10414 में विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक आई. डी. 3 के फैसले और 2011 की रिट अपील संख्या 580 दिनांक आई. डी. 2 के फैसलों और 2013 की रिट अपील संख्या 1125 के फैसले को खारिज करना उचित समझते हैं।

पक्षकारों को उचित मंच से पहले अपने उपचार की तलाश करनी चाहिए, यदि उन्हें ऐसा करने की सलाह दी जाती है।हम राज्य के अधिकारियों सहित सभी पक्षों को विभिन्न पक्षों के कब्जे के संबंध में आज की स्थिति को बनाए रखने का भी निर्देश देते

हैं, जब तक कि सक्षम अदालत/मंच प्रथम प्रतिवादी सोसायटी और अतिक्रमणकारियों के अधिकारों का निर्धारण नहीं करता है।

50. याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

कल्पना के.त्रिपाठी याचिका निस्तारित

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता मयंक चौधरी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।